

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/2020-21/25290-99 दिनांक : 21/10/20

उपायुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाड़ा।

विषय : रा.उ.मा.वि. बोरिया में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 22538-82 दिनांक 25.09.2020 द्वारा रा.उ.मा.वि. बोरिया में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को नियुक्त किया गया था। माननीय मंत्री महोदय टीएडी के अ.शा. टी क्रमांक SP- 12 दिनांक 19.10.2020 द्वारा उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के तहत बांसवाड़ा जिला अन्तर्गत क्र.सं. 7 पर अंकित कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त करने के निर्देश के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या-6 में अंकित राशि की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

जिला-बांसवाड़ा		कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत		(राशि लाख रु. में)	
क्र.सं.	कार्य का नाम व स्थान	ग्रा.पं.	तहसील	तकनीकी स्वीकृति क्र. / दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	2 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य रा.उ.मा.वि. बोरिया	बोरिया	बांसवाड़ा	XEn/RDPRD/PS/Bans wara/82/ 19.10.2020	20.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 77/2018-19 में 113 नवीन क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में निमाण हेतु प्राप्त राशि में से किया जावेगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्तें-

- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व साईट प्लान व ऐलिवेशन का अनुमोदन प्राप्त करे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के मॉडल एस्टीमेट अनुसार किया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। आर.सी.सी फ़ेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य किया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।

6. विभागीय अभियंताओं एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओं के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण करवाया जावेगा।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
8. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
9. जिन कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त है, उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विभाग इन कार्यों हेतु राशि का हस्तान्तरण संबंधित पंचायत समिति को करेंगे।

- sd,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S
आयुक्त

क्र एफ 5/अभि./सीटीएडी/अति.कक्षा-कक्ष/19-20/ 25230-99 दिनांक : 21/10/20
प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 77/2018-19 में 113 नवीन क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में निर्माण हेतु प्राप्त राशि में से स्वीकृत लागत 20.00 लाख उपायुक्त टीएडी बांसवाडा को हस्तान्तरित करावे।
5. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पं.स. बांसवाडा जिला बांसवाडा।
8. प्रधानाध्यापक रा.उ.मा.वि. बोरिया ग्रा.पं. बोरिया पं. स. बांसवाडा जिला बांसवाडा।
9. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)